

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

34 / 2025

श्री पवन कुमार सैनी पुत्र स्व. गोपाल लाल सैनी निवासी मोहल्ला मेहन्दीबाग शिव मन्दिर के पास टोंक तहसील व जिला टोंक
—अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 15.05.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कार्यालय का नाम व पता, की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जराए।

(2) दिनांक 17.12.2024 डाक क्रमांक ER 299942351IN के श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय लिखित में दिये गये प्रार्थना पत्र जिसकी प्राप्ति 19.12.2024 को हो चुकी है। जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही व सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 572 दिनांक 17.04.2025 व 679 दिनांक 30.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 30.04.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 447 दिनांक 01.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 17584 दिनांक 24.04.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



660

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक